प्रेषक,

वित्त आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

सेवा में,

निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा।

ज्ञापन संख्या 1756–एसडब्लू (1) 92
दिनांक:

विषय: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत योजना का कार्यान्वयन। उपरोक्त विषय पर आपके दिनांक 25.06.1992 के नोट का संदर्भ लें।

2. हरियाणा के राज्यपाल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान करते हैं।

i. उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन।

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अस्पृश्यता निवारण, पक्की सड़कें, बालिकाओं का नामांकन आदि उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को 5000/– प्रति ग्राम पंचायत की दर से पुरस्कार दिया जाएगा। योजना का विवरण अनुलग्नक श्एश में दिया गया है।

ii. अस्पृश्यता निवारण आदि से संबंधित महान गुरुओं के गीतों की रिकॉर्डिंग के कैसेट तैयार करना।

बाबा साहब डॉ. अंबेडकर, महात्मा गांधी, गुरु रविदास और महर्षि बाल्मीकि आदि जैसे महान गुरुओं के इतिहास जैसे गीतों/शिक्षाओं आदि की रिकॉर्डिंग के लिए फिल्म/कैसेट और अन्य सामग्री तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसे जनसंपर्क विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

iii. अस्पृश्यता निवारण पर वाद–विवाद और संगोष्ठियां।

राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों पर वाद–विवाद और संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी, जहां शिक्षाविदों, समाज सुधारकों और व्यक्तियों सहित प्रतिष्ठित हस्तियों को अस्पृश्यता के खिलाफ आम जनता को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

iv. बसों पर विज्ञापन

बाबा साहब डॉ. बी.आर. अंबेडकर, गुरु रविदास, महर्षि बाल्मीकि और महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित अस्पृश्यता विरोधी नारे बसों के चौनलों पर लगाए जाएंगे। इन्हें हरियाणा रोडवेज की बसों के पीछे प्रदर्शित किया जाएगा ताकि राज्य के साथ–साथ राज्य के बाहर भी अस्पृश्यता विरोधी संदेश पहुंचाया जा सके।

3. उक्त योजना के तहत राशि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा 50 : 50 के आधार पर शुरू की जाएगी।

4. इसमें शामिल व्यय को वर्ष 1992–93 (योजना) के लिए "2225– अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण –800– पीसीआर अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन पर अन्य व्यय" शीर्षक के तहत डेबिट किया जाएगा।

5. यह वित्त विभाग की सहमति से उनके यू.नं. द्वारा जारी किया जा रहा है।
1(97)–92–आईएफजी–II/1607, दिनांक 17.07.92.

हस्ता/–
संयुक्त सचिव,
कृते: वित्त आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

अनुलग्नक– 'ए'

विषयः– **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन।**

उद्देश्यः– **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत को प्रोत्साहित करना।**

नियम और शर्तें

प्रोत्साहन निम्नलिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगाः–

1. ग्राम पंचायत को अस्पृश्यता से मुक्त होना चाहिए जैसा कि निवासियों के व्यवहार से परिलक्षित होता है।
2. अनुसूचित जाति के लोग किसी भी सार्वजनिक रेस्तरां, छात्रावास, धर्मशाला, सरल या मुसाफिर खाना में रखे किसी भी बर्तन और अन्य सामान का उपयोग आम जनता के उपयोग के लिए कर सकते हैं।
3. अनुसूचित जातियों को मंदिर/गुरुद्वारा आदि जैसे सभी धार्मिक स्थानों तक आसानी से पहुँच प्राप्त है।
4. अनुसूचित जातियों को अपने पशुओं के लिए सभी मार्गों और सड़कों, कुओं और घास के मैदानों तक आसानी से पहुँच प्राप्त है।
5. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कोई अन्य महत्वपूर्ण कल्पनाशील/विकास कार्य। न्यूनतम मजदूरी लागू करना, भूमिहीन मजदूरों और अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों की गारंटी के लिए संगठित करना आदि।

वित्तीय सहायता का स्वरूप

प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को 5000/– रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्राम पंचायत का चयन विभागीय योजनाओं के तहत पहले से गठित समिति द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की संख्या धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

चयन का तरीका

अनुसूचित जातियों के लिए अग्रणी कार्य करने वाली ग्राम पंचायतें संबंधित जिला कल्याण को किसी विशेष वर्ष में अपनी उपलब्धि प्रस्तुत करेंगी। आवेदन की जांच जिला कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी। वह पहले से गठित जिला समिति को गांव के नाम प्रस्तुत करेंगे जो प्रत्येक जिले में ग्राम पंचायत का चयन करेगी।

भुगतान की प्रक्रिया

ग्राम पंचायत के चयन के बाद, प्रोत्साहन राशि संबंधित उपायुक्त द्वारा स्वीकृत की जाएगी तथा जिले के जिला कल्याण अधिकारी द्वारा आहरित एवं वितरित की जाएगी।

प्रेषक,

वित्त आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

सेवा में,

निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा।

ज्ञापन संख्या 1197–एसडब्लू (1) 200
दिनांक चंडीगढ़

विषयः अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दर में वृद्धि।

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय का संदर्भ में।

2. हरियाणा के राज्यपाल वर्ष 2007–08 से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन की दर को 5000/– रुपये से बढ़ाकर 50000/– रुपये करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह वित्तीय विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है, जिसे उनके यू.ओ.एन.ओ. 6/6/07–5.एफ.जी.–II/1444, दिनांक 18.07.2007 द्वारा सूचित किया गया है।

हस्ता/–
अवर सचिव
कृतेः वित्त आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

क्रमांक संख्या 1197– एसडब्लू (1)– 2007 दिनांक चंडीगढः 27.07.2007

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती हैः

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, चंडीगढ़।
2 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा, चंडीगढ़।
3 सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
4 सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य।

हस्ता/–
अवर सचिव
कृतेः वित्त आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

इसकी एक प्रति वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को यू.ओ. संख्या 6/6/2007– 5–एफजी– II दिनांक 18.07.2007 सूचनार्थ प्रेषित हैं।

हस्ता/–
अवर सचिव
कृतेः वित्त आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

सेवा

वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग,
हरियाणा सरकार ।

यू.ओ. संख्या 1197– एसडब्लू (1)– 2007 दिनांकः 27.07.2007

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
विभाग, चंडीगढ़।

सेवा में,

निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़।

सं. 1087–एस.डब्लू.(1) 2009 दिनांक, चंडीगढ़, दिनांक 26–05–2009

विषयः– अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन।

उपर्युक्त विषय का संदर्भ में।

हरियाणा के राज्यपाल, ''अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन'' योजना में पात्रता शर्तों के अंत में निम्नलिखित शर्तें जोड़ते हैं:–

1. ग्राम पंचायत ने अनुसूचित जातियों से संबंधित भूमि विवादों के निपटान तथा उन्हें अधिशेष भूमि पर कब्जा लेने में सहायता करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
2. ग्राम पंचायत ने अनुसूचित जाति बस्तियों में गलियों के पक्के निर्माण, पेयजल सुविधा तथा जल निकासी के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है।

योजना में अन्य नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। यह मुद्दा वित्त विभाग की सहमति से उनके यू. ओ. संख्या 1/1/2009–5एफजी II (2470) दिनांक 18.03.2009 द्वारा अवगत कराया गया है।

हस्ता/–
संयुक्त सचिव
कृते: आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, चंडीगढ़।

क्रमांक संख्या 1087–एसडब्लू (1) 2009 दिनांकः 26.05.2009

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है:

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, चंडीगढ़।
2 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा, चंडीगढ़।
3 सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
4 सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य।
5 प्राचार्य पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, रोहतक।

हस्ता/–
संयुक्त सचिव
कृते: आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, चंडीगढ़।

इसकी एक प्रति वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग चंडीगढ़ को यू.ओ. संख्या 1/1/2009– 5एफजी II (2470) दिनांक 18.3.2009 सूचनार्थ प्रेषित हैं।

हस्ता/–
संयुक्त सचिव
कृते: आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, चंडीगढ़।

सेवा

वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग चंडीगढ़।

यू.ओ. संख्या दिनांकः

प्रेषित

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
विभाग, चंडीगढ़।

सेवा में

महानिदेशक,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
विभाग, हरियाणा।
ज्ञापन संख्या 127–एस.डब्लू.(2)–2021
दिनांक चंडीगढ़, 23.02.2021

विषयः– अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन।

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय का संदर्भ में।

2. हरियाणा के राज्यपाल अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों के लिए प्रोत्साहन योजना में पात्रता शर्तों को इस शर्त से प्रतिस्थापित करते हैं कि ''अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किया गया कोई भी कल्पनाशील/अभिनव कार्य इस शर्त के साथ कि पिछले 2 वर्षों के दौरान गांव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अत्याचार का कोई मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।'' योजना में अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

हस्ता/–
अधीक्षक (एसडब्ल्यू),
हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव के लिए,
अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, चंडीगढ़।

क्रमांक संख्याः 127–एसडब्ल्यू (2)–2021 दिनांकः

इसकी एक प्रति सूचना और आवश्यक कार्यवाई के लिए निम्नलिखित को भेजी जाती हैः
1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, चंडीगढ़।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा, चंडीगढ़।
3. राज्य के सभी जिला कल्याण अधिकारी।

हस्ता/–
अधीक्षक (एसडब्ल्यू),
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, चंडीगढ़।